भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2853

<u>दिनांक 11 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

एमईआईएस के लाभ

2853. श्री कुलदीप राय शर्माः

श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटीलः

डॉ॰ अमोल राम सिंह कोल्हेः

श्रीमती सुप्रिया सुलेः

श्री डी॰ एन॰ वी॰ सेंथिलकुमार एस॰ः

डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बने बनाए परिधानों के निर्यात पर से 4 प्रतिशत एमईआईएस (मेर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम) लाभ को मार्च, 2020 से भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त कर दिया है तथा जुलाई, 2020 तक प्रदान किया गया प्रोत्साहन भी वसूल लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस पहल से पूंजी समाप्त हो गई है और 50 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी लघु वस्त्र उद्यम बंद होने को मजबूर है जिससे बहुत लोग बेरोजगार हागे;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने आरओएससीटीएल (रिबेट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल टैक्सेज एंड लेवीज) निर्यात के अंतर्गत करों की प्रतिपूर्ति करने वाली योजना का कार्यान्वयन नहीं किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 14.01.2020 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया है कि अध्याय 61, 62 और 63 के अंतर्गत मदों हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत दिए जाने वाले लाभ दिनांक 07.03.2019 से समाप्त हो गए हैं। इन अध्यायों के अंतर्गत मदें रेडीमेड वस्त्र ओर निर्मितियां हैं। उपर्युक्त अधिसूचना को प्रभावी करने के लिए दिनांक 29.01.2020

को एक सार्वजनिक सूचना सं. 58 जारी की गई जिसमें अधिसूचित किया गया है कि वस्त्र और निर्मितियों (अध्याय 61, 62 और 63) से संबंधित दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 की अवधि के बीच क निर्यात की तिथि वाले निर्यात हेतु एमईआईएस के अंतर्गत निर्यातकों को भुगतान किए गए अतिरिक्त/अनुचित दावों को राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी की छूट संबंधी स्कीम (आरओएससीटीएल) के अनुसार उपयुक्त रुप से समायोजित किया जाएगा और जहां कही भी उचित होगा, वसूलियां की जाएगी।

(ग) और (घ): दिनांक 14.01.2020 को सरकार ने दिनांक 07.03.2019 से 31.12.2019 तक किए गए रेडीमेड परिधानों और निर्मितियों के निर्यात हेतु आरआएससीटीएल और राज्य लेवी की छूट (आरओएसएल) जोड़ एमईआईएस के अंतर को पाटने के लिए सरकार ने एक विशेष एककालिक अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन देना अधिसूचित किया है।

(ड.) आरओएससीटीएल स्कीम जो दिनांक 07.03.2019 को अधिसूचित की गई थी और अतिरिक्त तदर्थ प्रोत्साहन जो दिनांक 14.01.2020 को अधिसूचित किया गया था, को चालू कर दिया गया है।

***